

Central Coalfields Limited

A Mini Ratna Company

(A Subsidiary of Coal India Limited)

Personnel / NEE Department

Darbhanga House, Ranchi - 834029

CIN - U10200JH1956GOI000581

Website - <http://centralcoalfields.in>**Fuelling Sustainable Growth****सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड**

एक मिनी रत्ना कंपनी

(कोल इंडिया लिमिटेड का एक अंग)

कार्मिक/कर्मचारी स्थापना विभाग

दरभंगा हाउस, रांची - 834029

सी.आई.एन. - U10200JH1956GOI000581

वेबसाइट - <http://centralcoalfields.in>

पत्रांक: - सीसीएल/एनईई/मुख्यालय इलेक्ट्रिकल संवर्ग/सी-बी/2024-25/ 11481-89 (H)

दिनांक: - 5-जनवरी, 2025

कार्यालय आदेश

मुख्यालय इलेक्ट्रिकल संवर्ग के निम्नलिखित सहायक फोरमैन (इलेक्ट्रिकल) / चार्जमैन टी एवं एस ग्रेड-सी को एतद्वारा फोरमैन (इलेक्ट्रिकल) / चार्जमैन टी एवं एस ग्रेड-बी (एनसीडब्ल्यू-XI वेतनमान रु. 51103.12 पर) के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

The under mentioned Asstt. Foreman (Electrical) / Chargeman in T&S Grade-C of the HQ Electrical Cadre are hereby promoted to the post of Foreman (Electrical) in T&S Grade-B (in the scale under NCWA-XI at Rs. 51103.12).

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पीआईएस संख्या	प्रोन्नति की आधार	वर्तमान पदस्थपना का क्षेत्र
1	राम कुमार टाना भगत	14401145	अनारक्षित	कल्याण एवं सेवाएँ अनुभाग, मुख्यालय, रांची
2	राकेश कुमार तिवारी	14530109	अनारक्षित	कल्याण एवं सेवाएँ अनुभाग, मुख्यालय, रांची
3	गौरव कुमार सिंह	14589048	अनारक्षित	कल्याण एवं सेवाएँ अनुभाग, मुख्यालय, रांची

इनकी पदोन्नति उक्त पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। अगला आदेश जारी होने तक वे उनके वर्तमान क्षेत्र में ही पदस्थापित रहेंगे।

The promotion of the above mentioned employees will be effective from their actual date of joining to the promoted post and they will continue at their present Area of posting till further orders.

उपर्युक्त वर्णित कर्मी सी.सी.एल. के प्रमाणित स्थायी आदेश के खण्ड 3.6 के अनुसार उक्त पद पर छः महीने की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

They will be on probation for a period of 06 months as per the clause 3.6 of Certified Standing Orders of the company.

इनकी इंटर-सी-सीनियारिटी अनुमोदित पैनल में इनकी वरीयता क्रम में रहेगी जो उनके पदोन्नत पद पर वास्तविक पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावित नहीं होगी।

Their inter-se-seniority will remain in the same order as shown in the approved panel irrespective of their actual date of joining on the promoted post.

सी.सी.एल. एवं उसकी सहायक कम्पनियों के गैर-अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों की वरीयता सुनिश्चित करने हेतु पत्रांक: - सी.आई. एल./सी-5/जे.बी.सी.सी.आई./एस.सी./डिटरमिनेशन ऑफ सीनियरिटी/33 दिनांक: 11.02.2021 द्वारा जारी किये निर्देशों के तहत उपरोक्त कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नत पद पर यथाशीघ्र अपना योगदान दें। यदि संबंधित कर्मचारी इस कार्यालय आदेश के जारी होने के 30 दिनों के अंदर पदोन्नत पद पर अपना योगदान नहीं देते हैं तो यह कार्यालय आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा।

In view of the CIL guideline on determination of seniority in case of Non -Executive Cadre employees of CIL and its subsidiaries circulated vide reference no. CIL/C-5B/JBCCI-X/SC/Determination of

श्रीमती
सम्रा




Seniority/33 dated 11-02-2021, the aforementioned employee are directed to report for their duty on the promoted post at the earliest and not later than 30 days of issue of this order. **If the concerned employee does not join within 30 days of the issuance of office order, the same shall stand cancelled.**

सम्बन्धित महाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष (प्रमाणित स्थाई आदेश के अनुसार अनुशासनात्मक अधिकारी) सुनिश्चित करें कि उपरोक्त कर्मचारी का पदोन्नत पद पर योगदान तभी स्वीकार किया जाए जब उनके विरुद्ध कोई भी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाई लंबित नहीं हो, जिसके उपरांत ही उनका पदोन्नत पद पर योगदान प्रभावी होगा। पदोन्नत पद पर उनकी जोइनिंग रिपोर्ट आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु इस कार्यालय को तत्काल प्रेषित की जाय।

The concerned GM / HOD of the Department (Disciplinary Authority as per Certified Standing Orders of the Company) is to ensure that the joining to the promoted post is accepted only if there is no departmental disciplinary case pending against the concerned employee only after which this promotion would be effected. Their joining report to the promoted post must be forwarded to this office immediately, for further necessary action at this end.

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority.


(सौम्या सिंह)

उप प्रबन्धक (का-कर्म. स्था.)

सीसीएल:राँची

वितरण:-

1. महाप्रबंधक/निदेशक (कार्मिक) के तकनीकी सचिव, सीसीएल, राँची।
2. महाप्रबंधक (कार्मिक-एनईई) / (कल्याण एवं सेवाएँ), सीसीएल, राँची।
3. मुख्य वित्त प्रबंधक (वेतन) / (सीएमपीएफ़), सीसीएल, राँची।
4. श्रमशक्ति सहायक, कर्मचारी स्थापना विभाग, सीसीएल, राँची।
5. संबन्धित कर्मचारी।
6. संबन्धित संचिका।